फर्द अहकाम

प्रभुदयाल बनाम सरकार

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 112/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	02/09/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी वकील अनुपस्थित। अतः पत्रावली में वकील अप्रार्थी नं० 2 को जवाब हेतु एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 03/09/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	
	03/09/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी नं० 2 आज भी अनुपस्थित। पत्रावली में वकील अप्रार्थी नं० 2 को लगातार अवसर दिये गये परन्तु जवाब भी पेश नहीं किया गया। अतः वकील अप्रार्थी लगातार पेशी पर उप० नहीं होने व जवाब पेश नहीं करने पर वकील अप्रार्थी नं० 2 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। पत्रावली अन्तिम जवाब हेतु दिनांक 05/09/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	
	05/09/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी	

फर्द अहकाम

[illegible] बनाम सरकार वगैरह

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

1/2/2016

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	व पैरोकार सरकार उपस्थित वकील अप्रार्थी नं० 2 अनुप० अतः वकील अप्रार्थी नं० 2 व अप्रार्थी नं० 2 को बार-बार आवाज लगाई गई तथा इन्तजार किया गया लेकिन उप० नहीं। अतः वकील अप्रार्थी नं० 2 का जवाब बन्द किया जाता है अप्रार्थी नं० 2 व उनका वकील लगातार अनु० रहे हैं अतः वकील अप्रार्थी नं० 2 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सु० धारा 131, 136 रा.भू.रा. अधि. पर सुनी गई। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली कोताह अमल होकर नियम से जमा हो तथा बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

(Y2)

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
112/2016	20/06/2016	05.09.2024

1. प्रभूदयाल पुत्र किस्तुरचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम कोलियावास वनियाल तहसील दौसा, जिला दौसा, राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार , जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
2. उप वन संरक्षक (उत्तर) जयपुर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री रमाशंकर शर्मा – वकील प्रार्थी

प्रार्थनापत्र बाबत् नक्शा, रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

–:निर्णय :–

प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 390 रकबा 9 बीघा, खसरा नम्बर 330/1 रकबा 15 बीघा ग्राम राजपुरवासताला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए भूमि खसरा नम्बर 391 स्थित है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 390 रकबा 9 बीघा, खसरा नम्बर 390/1 पर राजस्व नक्शें में हरे रंग से दर्शाये गये अनुसार पर काबिज काश्त है। प्रार्थी की उक्त भूमि से लगते खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 391 को राजस्व नक्शें में खसरा नम्बर 390, 390/1 के स्थान पर अंकित कर दिया है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 390, 390/1 को नक्शें में वास्तविकता से परे विपरीत दिशा की ओर दर्शाया है। नक्शें में खसरा नम्बर 390, 390/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 391 को अवैध रूप से अंकित कर दिया गया है जो मौका स्थिति एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के अनुरूप नही है। खसरा नम्बर 391 मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है जो कि खसरा नम्बर 390, 390/1 के स्थान पर स्थित है। जिसमें राजस्व कर्मचारियों ने अवैध रूप से खसरा नम्बर 390, 390/1 की कब्जे काश्त की भूमि को अंकित नही कर खसरा नम्बर 391 का अंकन दिया है जबकि मौके पर खसरा नम्बर 391 के स्थान पर खसरा नम्बर 390, 390/1 स्थित है। खसरा नम्बर 390, 390/1, खसरा नम्बर 391 की दुरूस्ती कर खसरा नम्बरान की भूमि दुरूस्त नक्शा कब्जेकाश्त एवं रकबे के अनुसार कायम किया जाना आवश्यक है। अतः ग्राम राजपुरवासताला के खसरा नम्बर 390, 390/1 को पूर्व से चले आ रहे कब्जे काश्त के अनुसार खसरा नम्बर 391 का पूर्व से चले आ रहे कब्जे काश्त के अनुसार खसरा नम्बर 391 के स्थान पर संलग्न नजरी नक्शें के अनुसार तरमीम कर दुरूस्त कर नक्शा कायम किया जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। दिनांक 23.01.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 के तहत पक्षकार बनाया गया। अप्रार्थी सं0 2 की ओर से एड0 श्री सुरेन्द्र कुमार जैन ने दिनांक 21.05.2024 को उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/एल0आर0/24/2392 दिनांक 27.05.24 द्वारा जवाब पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं0 2 ने दिनांक 02.09.24 तक जवाब पेश नही किया था तथा दिनांक 12.08.24, व 27.08.24 एवं 02.09.24 एवं 27.08.24 को पुनश्चः अप्रार्थी सं0 2 अनुपस्थित रहे तथा दिनांक 03.09.2024 को भी अप्रार्थी सं0 2 अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थी सं0 2

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

लगातार अनुपस्थित रहने पर दिनांक 05.09.2024 को अप्रार्थी सं0 2 को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 2 लगातार अनुपस्थित रहने तथा जवाब पेश नही करने पर दिनांक 05.09.2024 को जवाब बन्द किया गया तथा अप्रार्थी सं0 2 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 (पैरोकार सरकार) की एक तरफा बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम राजपुरवासताला के खसरा नम्बर 390, 390/1 को पूर्व से चले आ रहे कब्जे काश्त के अनुसार खसरा नम्बर 391 का पूर्व से चले आ रहे कब्जे काश्त के अनुसर खसरा नम्बर 391 के स्थान पर संलग्न नजरी नक्शें के अनुसार तरमीम कर दुरूस्त कर नक्शा कायम किया जावें।

अप्रार्थी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम राजपुरवासताला के खसरा नम्बर 390 रकबा 2.2761है0 एवं खसरा नम्बर 390/1 रकबा 3.7935है0 प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरे नम्बरान पर प्रार्थी आंशिक हिस्से पर काबिज है। प्रार्थी का खसरा नम्बर 391 वन विभाग की भूमि से नक्शा बदलाना चाहता है। प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 391 पर कब्जा नही है। खसरा नम्बर 390, 390/1 का नक्शा पूर्वानुसार सही बनाया गया है। खसरा नम्बर 390, 390/1 के लगते खसरा नम्बर 390/3, 391 के सीमा विवाद वन विभाग से है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 391 में काबिज नही है।

वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार करना उचित समझते है ।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि ग्राम राजपुरवासताला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 390, 390/1 को पूर्व से चले आ रहे कब्जे काश्त के अनुसार खसरा नम्बर 391 के स्थान पर संलग्न नजरी नक्शें के अनुसार वन विभाग की भूमि को छोडकर रकबा बरारी करते हुए तरमीम कर दुरूस्त कर नक्शा कायम किया जावें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 05.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़